



2019/00124

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी श्री राकेश कुमार पुत्र श्री बलवन्त राम जाति जाट आयु 49 वर्ष निवासी गांव शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मुत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा पत्र, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता श्री बलवन्त राम पुत्र श्री आदू राम निवासी गांव 1 एफ शिवपुर फतूही जिला श्रीगंगानगर ने वसीयत दिनांक 09.05.2005 को करवाई थी। प्रार्थी के पिता का देहान्त दिनांक 05.11.2018 को हो चुका है। उनके द्वारा दिनांक 09.05.2005 को करवायी गयी बंद वसीयत करवायी गयी थी जिसको खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया।

66/24/98

प्रार्थी को गवाहान श्री अमर सिंह पुत्र श्री राम लाल एवं श्री श्रीभगवान पुत्र बलवन्त राम ने पहचाना। प्रार्थी व गवाहों की पहचान श्री सतविन्द्र सिंह, श्रीगंगानगर द्वारा की है। अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वसीयत खोले जाने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है

जिला पंजीयक महोदय

11

T

वै,